टेलीविजन केन्द्रों के लिए सुविधाएं

5916. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन केन्द्रों के उचित संचालन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना होता है ;

(ख) देश में कितने टेलीविजन केन्द्र हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं और क्या इन सभी स्टूडियो में सभी अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो किन सुविधाओं की कमी है ; और

(ग) सरकार द्वारा टेलीविजन स्टूडियो की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इस के लिए 1979-80 में कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) टेलीविजन केन्द्रों के उचित संचालन के लिये पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं, कर्मचारियों, भवनों आदि की आवश्यकता होती है जो उस केन्द्र के लिए नियोजित कार्यक्रमों की मात्रा और स्वरूप के अनुरूप हो ।

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या और उन के स्थान निम्न प्रकार से हैं :-

केन्द्र (स्टूडियो और ट्रांसमीटर) :

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. श्रीनगर
4. कलकत्ता
5. मद्रास
6. लखनऊ
7. अमृतसर

ट्रांसमिटिंग केन्द्र :

8. हैदराबाद (बेस प्रोडक्शन यूनिट के साथ)
9. जयपुर
10. रायपुर
11. गुलबर्गा
12. सम्बलपुर (कटक में स्टूडियो के साथ)
13. मुजफ्फरपुर
14. पिंप (अहमदाबाद में एस० ए० सी० में स्टूडियो के साथ)।

रिले केन्द्र :

15. पुणे
16. मसूरी
17. कानपुर

बेस प्रोडक्शन सेंटर :

1. कटक (अम्बलपुर ट्रांसमीटर के लिए)
2. दिल्ली (जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर ट्रांसमीटरों के लिए)
3. हैदराबाद (हैदराबाद और गुलबर्गा ट्रांसमीटर के लिए)।

स्टूडियो के पास कार्यक्रम की आवश्यकताओं का निर्वाह करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं । संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार विद्यमान सुविधाओं के सुधार / वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, रायपुर, गुलबर्गा और मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है । बेस प्रोडक्शन सेंटर को दिल्ली से जयपुर और हैदराबाद के बेस प्रोडक्शन सेंटर को स्थायी भवनों में ले जाने का भी प्रस्ताव है । 1979-80 की वार्षिक योजना में योजना आयोग द्वारा इन योजनाओं के लिए 55 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकार कर लिया गया है ।

Amount spent on IISCO Revitalisation

5917. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what amount has been spent by the Government in revitalising IISCO since its take over in 1972;

(b) whether the plant has now achieved the desired increased production; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) The total amount spent by the Government so far on the plant rehabilitation, modernisation and capital expenditure schemes of Indian Iron & Steel Co. Ltd., which are still under implementation, is Rs. 103.47 crores.

(b) and (c). There has been substantial improvement in the production performance of the Company since its take-over in July, 1972. The capacity utilisation in terms of saleable steel has gone up from about 43 per cent in 1972-73 to about 63 per cent in 1978-79. However, there is no doubt, scope for

further improvement in production performance which has been below the targets by 25.6 and 19.8 per cent during the years 1977-78 and 1978-79 respectively. The main reasons which have hampered attainment of higher capacity utilisation are outmoded technology in certain areas, erratic operational parameters of the blast furnaces and lower availability of hot metal and slag ladles for steel making, lower availability of Bessemer Converters and Open Hearth Furnaces, indifferent industrial relations, power restrictions from DVC, etc.

गुजरात में कीटनाशी औषधियों की खपत

5918. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कीटनाशी औषधियों की कुल कितनी वार्षिक खपत होती है;

(ख) गुजरात में कीटनाशी औषधियों का निर्माण करने वाले कितने संयंत्र काम कर रहे हैं और कितने संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनमें से कितने संयंत्र चालू हो गए हैं और कितने संयंत्र सरकारी क्षेत्र में हैं और कितने संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भी कितने संयंत्र चालू नहीं हुए हैं;

(ग) कीटनाशी औषधियों का निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में कितने लाइसेंसों की मांग की गई है और इसके लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) गुजरात में फसल सुरक्षा के लिए 1978-79 के दौरान 5000 मी.टन पेस्टीसाइड्स की खपत होने की आशा है।

(ख) संगठित क्षेत्र में आधारभूत स्तर से पेस्टीसाइडस का निर्माण करने के लिये गुजरात राज्य में इस समय 12 संयंत्र अपने औद्योगिक लाइसेंसों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य में तकनीकी श्रेणी के पेस्टीसाइडस संयंत्रों की स्थापना के लिये 5 औद्योगिक लाइसेंस तथा 6 आशय पत्र दिये गये हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव (इफको), जो कि सहकारी क्षेत्र में है, को छोड़कर पहले से ही कार्यरत सभी संयंत्र तथा स्थापित किये जा रहे संयंत्र प्राइवेट क्षेत्र में हैं।

(ग) सहकारी क्षेत्र में पेस्टीसाइडस के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु केवल मैसर्स आई.एफ.एफ.सी.ओ. ने आवेदन किया है। उनको पहले ही एक आशय पत्र जारी किया जा चुका है जिसको उनके द्वारा शर्तों को पूरा किये जाने पर औद्योगिक लाइसेंस में बदला जायेगा।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिये आवेदनों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

Representation from Sikkim Prajantantra Congress

5919. **SHRI C. K. JAFFER SHARIEF:** Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any representation has been made to the Election Commission by the Sikkim Prajantantra Congress regarding the inclusion of all eligible voters in the electoral list before the forthcoming assembly elections;

(b) whether it has been alleged that about 50,000 persons had been deprived of their votes by the Kazi Government; and

(c) if so, the reaction of Central Government thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Three representations have been received by the Election Commission from the Sikkim Prajatantra Congress regarding revision of the electoral rolls in Sikkim with a view to bringing them up-to-date.

(b) No such allegation as is mentioned herein has been made in any of the representations.

(c) Does not arise.